43

COURT FEE 20 Rs. INDIA TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /म.प्र. भू/2017 निगरानी

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3873

पानसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह आयु– 57 वर्ष, जाति– लोधी रापजूत निवासी– ग्राम हीरापुरा, गोरमी परगना मेहगांव, जिला– भिण्ड (म.प्र.)

श्री ए. सी. नरवरिया द्वारा आज दि. 12-10-17 को प्रस्तुत 12-10-17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 30-10-17

.........आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. महिला भूरीबाई बेवा मानसिंह जाति– लोधी रापजूत निवासी– ग्राम हीरापुरा, गोरमी परगना मेहगांव, जिला– भिण्ड (म.प्र.)
2. रमेश
3. तर्जन सिंह
4. अशोक सिंह पुत्रगण भूपसिंह समस्त निवासीगण– ग्राम रमपुरा, तहसील अटेर, जिला– भिण्ड (म.प्र.)

.........अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2017 द्वारा पारित अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्र. 123/12–13 अपील

माननीय न्यायालय,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत है –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, हीरापुरा वृत्त गोरमी तहसील मेहगांव जिला भिण्ड के सर्वे क्र. 211 रकवा 0.45, सर्वे क्र. 216 रकवा 0.50, सर्वे क्र. 778 रकवा 0.87 सर्वे क्र. 814 रकवा 0.82 सर्वे क्र. 82 रकवा 0.22 सर्वे क्र. 106 रकवा 0.33 सर्वे क्र. 235 रकवा 0.35 सर्वे क्र. 785 रकवा 0.63 सर्वे क्र. 860 रकवा 0.62 कुला किता 9 कुल रकवा 4.79 हेक्टेयर पर मृतक मानसिंह पुत्र रामरतन सिंह का नाम राजस्व कागजात में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज था। मृतक मानसिंह निःसंतान थे उनकी मृत्यु दिनांक 25.04.2008 को होने के पश्चात आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा वसीयतनामा दिनांक 18.04.2008 के आधार पर उक्त भूमि पर आवेदक/निगरानीकर्ता का नामांतरण किये जाने बावत् आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / भिण्ड / भू0राज0 / 2017 / 3873

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–11–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के प्रकरण कमांक 30 / 07–08 / अ–6 के विरूद्ध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के समक्ष प्रकरण दर्ज कर अभिलेख आहूत किया है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर समाप्त किये जाने के आदेश दिये हैं। जब व्यवहार न्यायालय एवं राजस्व अपीलीय न्यायालय में एक ही बिन्दु पर मूल आदेश के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो और विचाराधीन प्रकरण को व्यवहार न्यायालय में मंगा लिया हो, तब राजस्व न्यायालय को कार्यवाही को प्रचलित रखना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण समाप्त करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एम0 अली) सदस्य	